क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम : जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) : घरेलू प्रसव

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.3.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए घरेलू प्रसव हेतु भी सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है ।

इकाई राशि (रू० में) :500/- प्रति घरेलू प्रसव

वित्तीय दिशा निर्देश :

घरेलू प्रसव हेतु सहायता पैकेज– घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में **₹**500/– देय होगा। पूर्व से लागू दो शर्त क्रमशः प्रथम शर्त महिला लाभार्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 19 वर्ष/19 वर्ष से अधिक हो एवं द्वितीय शर्त केवल दो बच्चे (मृत शिशु पर भी देय है) के जन्म तक देय था। उपर्युक्त दोनों प्रावधानों को हटाते हुए केवल बी.पी.एल. परिवार के प्रसूति माताओं को राशि देय होगी। यह आदेश दिनांक 08.05.2013 से प्रभावी होगा। ततसंबंधित पत्र SHSB/PM/22/2005-VII/4399, दिनांकः–27.05.2013 संलग्न है। तथा भुगतान करने की प्रक्रिया पूर्व प्रेषित पत्रांक SHSB/MCH/81/2009/18732, दिनांकः 26/07/2010 के अनुसार यथावत रहेगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) SHSB/MCH/81/2009/18732, दिनांकः–26.07.2010(संलग्न)
(ख) SHSB/PM/22/2005-VII/4399, दिनांकः–27.05.2013(संलग्न)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/9431005972

35

State Health Society, Bihar

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना – 800014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014

Phone: 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340

website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012)

संजय कुमार, भा०प्र०से०

कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः–SHSB/MCH/81/2009/.....1872.........

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी / सिविल सर्जन

बिहार ।

पटना, दिनांकः–...6/07/2010

विषयः– जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत घरेलू प्रसव हेतु नगद भुगतान के संबंध में ।

महाशय / महाशया

उपर्युक्त विषय के संबंध मे आप अवगत हैं कि हाल में भारत सरकार की तरफ से JRM टीम, ने खगड़िया एवं गया जिला का भ्रमण किया । क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि घरेलू प्रसव हेतु लाभार्थियों का भुगतान नही किया जा रहा है । **इस संदर्भ में वर्ष 2009–10 में जिलावार घरेलू प्रसव का प्रगति प्रतिवेदन संलग्न किया जाता है । राज्य के 38 में से 35 जिलों की प्रगति शून्य है तथा 3 जिलों में नाकाफी है ।** घरेलू प्रसव हेतु दिशा निर्देश सभी सिविल सर्जन को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांकः–SHSB/MCH/15/2007/5032, दिनांकः–21.01.08 द्वारा दी जा चुकी है (प्रतिलिपि संलग्न)। पत्र द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों को अनुपालन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाना है –

1. प्रत्येक घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रू० 500/– महिला लाभार्थी को देय होगा ।
2. महिला लाभार्थी का उम्र सीमा 19 वर्ष/19 वर्ष से ज्यादा हो ।(सक्षम प्राधिकारी)
3. यह सुविधा केवल बी०पी०एल० कार्डधारी महिला को देय है ।
4. यह राशि केवल दो बच्चे (मृत शिशु पर भी देय है) के जन्म तक देय है ।
5. प्रसव के समय राशि का भुगतान देय है ।

इस योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक गर्भवती महिला प्रसव हेतु आकस्मिक व्यय एवं अपनी देखभाल को पूरा कर सके । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा PUCL 196/2001 में यह स्पष्ट किया गया है कि घर में हुए प्रसव के लिए माताओं को घरेलू प्रसव हेतु भुगतान किया जाना है । उपर्युक्त तथ्य के अनुसार लाभार्थियों को भुगतान हेतु प्रक्रिया को सुदृढ करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित करें ।

1. इस राशि का भुगतान ए०एन०एम० के माध्यम से किया जाए। साथ ही संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा एवं जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता को 500 रू०/– की राशि देय होगी। जन्म प्रमाण पत्र के प्राप्ती रशीद पर ही 500 रू०/– के भुगतान की प्राप्ती भी सुनिश्चित की जाए। यह बात ध्यान में रखा जाए कि ANM को अतिरिक्त राशि JBSY मद से माताओं को घरेलू प्रसव हेतु रू०500/– देय है । मुस्कान कार्यक्रम के तहत हर शुक्रवार को ANM द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों पर भी भुगतान किया जा सकता है ।
2. घरेलू प्रसव हेतु ANM द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी का अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर एवं हाउस न० अंकित कर एवं उपर्युक्त पाँचों बिन्दुओं को सुनिश्चित कर ही भुगतान किया जाना है ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

Sl. NO.	District	A.1.4.1 Exp. In Home Deliveries as per FMR submitted by district.of 2009-10(Rs.in lakh)
1	Araria	0.00
2	Arwal	0.00
3	Aurangabad	0.00
4	Banka	0.06
5	Begusarai	0.00
6	Bhagalpur	0.00
7	Bhojpur	0.00
8	Buxar	0.00
9	Champaran-E	0.00
10	Champaran-W	0.00
11	Darbhanga	0.00
12	Gaya	0.22
13	Gopalganj	0.00
14	Jahanabad	0.00
15	Jamui	0.00
16	Kaimur	0.00
17	Katihar	0.00
18	Khagaria	0.00
19	Kishanganj	0.00
20	Lakhisarai	0.00
21	Madhepura	0.00
22	Madhubani	0.00
23	Munger	0.00
24	Muzaffarpur	0.08
25	Nalanda	0.00
26	Nawada	0.00
27	Patna	0.00
28	Purnia	0.00
29	Rohtas	0.00
30	Saharsa	0.00
31	Samastipur	0.00
32	Saran	0.00
33	Sheikhpura	0.00
34	Sheohar	0.00
35	Sitamarhi	0.00
36	Siwan	0.00
37	Supaul	0.00
38	Vaishali	0.00
	Total	0.36

Finance Manager, SHSB

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014
Parivar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800 014,
Tel: 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य
–सह–
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः–SHSB/PM/22/2005-VII/ 4939

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

पटना, दिनांकः–27/05/2013

विषयः– जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत घरेलू प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि देने संबंधी शर्तों को हटाये जाने के संबंध में।

प्रसंगः GOI MOHFW, N. Delhi का पत्र No. Z. 14018/1/2012-JSY दिनांक 08.05.2012

प्रसंगः EDKC/5286– दिनांक 21.08.2007, पत्रांक 5032–दिनांक 21.01.08, पत्रांक SHSB/MCH/81/2009/ 18712, दिनांक 26/11/2010

महाशया/महाशय,

विदित हो कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विभिन्न पत्रों एवं वित्तीय दिशा निर्देश द्वारा निर्देश दिया गया है कि जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत घर में जन्म देने वाली माताओं के लिए भी निम्नलिखित शर्तों के अनुपालनोपरान्त घरेलू प्रसव हेतु लाभार्थी को 500/– रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देय है–

1. महिला लाभार्थी का उम्र सीमा 19 वर्ष/19 वर्ष से ज्यादा हो ।(सक्षम प्राधिकारी)
2. यह सुविधा केवल दो बच्चे (मृत शिशु पर भी देय है) के जन्म तक देय है ।
3. यह सुविधा केवल बी०पी०एल० कार्डधारी महिला को देय है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार का प्राप्त प्रासंगिक पत्र No. Z. 14018/1/2012-JSY दिनांक 08.05.2012 के संदर्भ में सूचित करना है कि जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत घरेलू प्रसव के लिए उक्त तीन शर्तों में से दो शर्त क्रमशः प्रथम शर्त महिला लाभार्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 19 वर्ष/19 वर्ष से ज्यादा हो एवं द्वितीय शर्त केवल दो बच्चे (मृत शिशु पर भी देय है) के जन्म तक देय, को हटा दिया गया है।

विदित हो कि उपरोक्त दोनों शर्तों के कारण जिलों में घरेलू प्रसव के भुगतान करने की प्रक्रिया हेतु ए०एन०एम० के द्वारा लाभार्थी की उम्र को सत्यापित करने में काफी कठिनाई हो रही थी, जिसके फलस्वरूप घरेलू प्रसव का प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा था।

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Parivar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,

Tel 0612 2290340, 2281545, Fax 2290322, website www.statehealthsocietybihar.org

अतः निदेशित है कि घरेलू प्रसव का लाभ प्राप्त करने हेतु आयी महिला लाभार्थी को सिर्फ बी०पी०एल० कार्डधारी की अर्हता पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 500/- का भुगतान शत-प्रतिशत लाभार्थी को सुनिश्चित किया जाए । भुगतान करने की प्रक्रिया पूर्व प्रेषित पत्रांक SHSB/MCH/81/2009/ 18732, दिनांक 26/07/2010 के अनुसार यथावत रहेगी । यह दिनांक 08.05.2013 से लागू है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार)

ज्ञापांक [illegible] पटना, दिनांक 27/05/2013

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित है कि अपने क्षेत्र में घरेलू प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में 500/- का भुगतान शत-प्रतिशत लाभार्थी को सुनिश्चित किया जाए ।

प्रतिलिपि: राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, आई.ई.सी./बी.सी.सी., राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रेस विज्ञप्ति/विज्ञापन हेतु प्रेषित ।

27/5/2013

सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): संस्थागत प्रसव (ग्रामीण)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.3.2.a

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है । इसके लिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती माताओं को ₹1000/–रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र की माताओं को ₹1400/– रूपये देय होगा । इस एफ.एम.आर. कोड से केवल ग्रामीण क्षेत्र के गर्भवती माताओं को राशि देय होगा।

इकाई राशि (रू० में) :1400/–संस्थागत प्रसव

वित्तीय दिशा निर्देश :

संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश– संस्थागत प्रसवोपरांत प्रसूती माताओं को जननी एवं बाल सुरक्षा योजनान्तगर्त प्रोत्साहन राशि के रूप में एक मुश्त कुल ₹1400/–(ग्रामीण क्षेत्रों में) एकाउण्ट पेई चेक के द्वारा देय है।

नोट : –

1 प्रसूती माताओं को संस्थागत प्रसव के पश्चात एक मुश्त भुगतान देय होगा । प्रायः यह देखा जाता है कि प्रोत्साहन राशि का ससमय भुगतान नहीं होने के कारण संस्थागत प्रसवों में भी कमी होती है । इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रसूति महिलाओं को अस्पताल छोड़ने से पहले (Bed payment) प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है।

2. प्रसूती माताओं को एक मुश्त भुगतान उसी स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से किया जाएगा जहां पर उनका प्रसव होगा । सभी स्वास्थ्य संस्थान को निदेशित किया जाता है कि प्रसूती माताओं को एक मुश्त 1400/– का भुगतान प्रसव वाले संस्थान द्वारा किया जाएगा।

3. प्रायः यह देखा जाता है कि स्वास्थ्य संस्थान भुगतान हेतु प्रसूती माताओं तथा नवजात शिशुओं के फोटोग्राफ की मांग करते हैं। कड़ी सर्दी एवं लू के मौसम में नवजात शिशु के साथ प्रसूता महिलाएं फोटो के दुकान पर जाती हैं जो कि नवजात शिशु एवं महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। फोटो की आवश्यकता संस्थानों को है न कि महिलाओं को इससे संबंधित कोई आवश्यक अहर्ता पूरी करनी है। अतः यह स्पष्ट निदेशित किया जाता है कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में JBSY Administrative Expenses से एक Digital Camera (10000/–) का क्रय कर संबंधित फोटोग्राफ अपने कम्प्युटर में निम्नलिखित प्रारूप में संरक्षित करेगें तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस को एक हार्डडिस्क में संरक्षित कर रखेंगे। इस हेतु Labour Room Incharge के द्वारा प्रसवोपरांत प्रसूती माता एवं नवजात शिशु का फोटोग्राफ लिया जाएगा और इसकी जवाबदेही संबंधित प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक की होगी । इसको मुद्रित कर संचिका में ऑडिट के लिए संरक्षित करें ।

JSY Beneficiary Data Format						
Sr No.	Name of Mother	Pregnant Wowen Reg. No./ MCTS ID. No.	PhotoGraph of Mother And child	Amount received by Mother	Cheque No.	Signature/ Thumb Impression

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश –

1. यदि गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में हो जाता है तो सामान्य महिला लाभार्थी की तरह ही उक्त देय राशि दी जायेगी ।

2. प्रसूती माता (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भी गर्भवती माता या परिवार के सदस्यों को देय राशि का भुगतान होगा ।
   (क) गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है । आशा को भुगतान देय होगा ।
   (ख) अगर मृत शिशु जन्म अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान प्रसूती माता को पोषण हेतु देय है । आशा को भुगतान देय होगा ।
   (ग) अगर माता और शिशु दोंनों की मुत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा ।

भुगतान की प्रक्रिया : प्रसूती माताओं को एकाउण्ट पेई चेक के द्वारा भुगतान देय होगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)SHSB/PM/22/2005-VIII/ 6590, Date:-11/08/2014 **(संलग्न)**

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705 / 9431005972

Anand Kishore IAS
Secretary, Health Department,
Government of Bihar
-cum-
Executive Director,
State Health Society, Bihar

आनन्द किशोर, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार
सह-
कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

पत्रांकः–SHSB/PM/22/2005-VIII/ ....

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति,
बिहार

विषयः जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान एकाउण्ट पेइ चेक के माध्यम से करने के संबंध में के संबंध में।

प्रसंगः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 551,दिनांकः 27/01/2014, एवं पत्रांकःSHSB/PM/22/2005-VII/2193, दिनांकः 21/03/2014

पटना, दिनांकः–......../....../2014

महाशया/महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि कार्यालय पत्रांक 551, दिनांकः 27/01/2014 के द्वारा जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का भुगतान RTGS के माध्यम से ही किये जाने का आवश्यक निर्देश दिया गया है। पुनः कार्यालय पत्रांकः SHSB/PM/22/2005-VII/2193, दिनांकः 21/03/2014 द्वारा भी 26.05.2014 से इसी आशय का कठोरता से अनुपालन करने के लिए सभी जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थी को सिर्फ RTGS के माध्यम से ही भुगतान करने हेतु आशा के सहयोग से सभी गर्भवती महिलाओं का Zero Balance पर दिनांक 25.05.2014 तक A/C खुलवाने एवं इसके पश्चात् RTGS के माध्यम से ही भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. उक्त के संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार जननी सुरक्षा योजनान्र्तत लाभार्थियों का प्रोत्साहन राशि सिर्फ एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना है। जिसके लिए लाभार्थियों का बैंक एकाउण्ट होना अति आवश्यक है। इस हेतु सभी बैंको के प्रबंधकों को जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत गर्भवती महिलाओं का बैंक एकाउण्ट Zero Balance पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित MCP Card (with photograph of beneficiary) को सिर्फ पहचान प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार कर खोले जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः उक्त के आलोक में निदेशित है कि ***दिनांकः 26.05.2014 से जननी सुरक्षा योजनान्र्तत लाभार्थियों का प्रोत्साहन राशि सिर्फ एकाउण्ट*** *पेई चेक के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित करें।*

विश्वासभाजन

ह०/–
(आनन्द किशोर)

पटना, दिनांकः– 11 / 08/2014

ज्ञापांकः–

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वा०से० / क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को एवं आवश्यक कार्यार्थ सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, स्वास्थ्य विभाग
–सह–
कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): संस्थागत प्रसव (शहरी)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.3.2.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है । इस एफ.एम.आर. कोड से केवल शहरी क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं को राशि दिया जाएगा ।

इकाई राशि (रू० में) :1000/– संस्थागत प्रसव

वित्तीय दिशा निर्देश : संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश– संस्थागत प्रसवोपरांत प्रसूती माताओं को जननी एवं बाल सुरक्षा योजनान्तगर्त प्रोत्साहन राशि के रूप में एक मुश्त कुल 1000/–(शहरी क्षेत्रों में) एकाउण्ट पेई चेक के द्वारा देय है ।

नोट : –

1 प्रसूती माताओं को संस्थागत प्रसव के पश्चात एक मुश्त भुगतान देय होगा। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रोत्साहन राशि का ससमय भुगतान नहीं होने के कारण संस्थागत प्रसवों में भी कमी होती है। इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रसूति महिलाओं को अस्पताल छोड़ने से पहले (Bed payment) प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है।

2. प्रसूती माताओं को एक मुश्त भुगतान उसी स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से किया जाएगा जहां पर उनका प्रसव होगा। सभी स्वास्थ्य संस्थान को निदेशित किया जाता है कि प्रसूती माताओं को एक मुश्त 1000/– का भुगतान प्रसव वाले संस्थान द्वारा किया जाएगा।

3. प्रायः यह देखा जाता है कि स्वास्थ्य संस्थान भुगतान हेतु प्रसूती माताओं तथा नवजात शिशुओं के फोटोग्राफ की मांग करते हैं। कड़ी सर्दी एवं लू के मौसम में नवजात शिशु के साथ प्रसूता महिलाएं फोटो के दुकान पर जाती हैं जो कि नवजात शिशु एवं महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है । फोटो की आवश्यकता संस्थानों को है न कि महिलाओं को इससे संबंधित कोई आवश्यक अहर्ता पूरी करनी है । अतः यह स्पष्ट निदेशित किया जाता है कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में JBSY Administrative Expenses से एक Digital Camera (10000/–) का क्रय कर संबंधित फोटोग्राफ अपने कम्प्युटर में निम्नलिखित प्रारूप में संरक्षित करेगें तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस को एक हार्डडिस्क में संरक्षित कर रखेंगे। इस हेतु Labour Room Incharge के द्वारा प्रसवोपरांत प्रसूती माता एवं नवजात शिशु का फोटोग्राफ लिया जाएगा और इसकी जवाबदेही संबंधित प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक की होगी । इसको मुद्रित कर संचिका में ऑडिट के लिए संरक्षित करें ।

JSY Beneficiary Data Format						
Sr No.	Name of Mother	Pregnant Wowen Reg. No./ MCTS ID. No.	PhotoGraph of Mother And child	Amount received by Mother	Cheque No.	Signature/ Thumb Impression

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश –

1. यदि गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में हो जाता है तो सामान्य महिला लाभार्थी की तरह ही उक्त देय राशि दी जायेगी ।

2. प्रसूती माता (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भी गर्भवती माता या परिवार के सदस्यों को देय राशि का भुगतान होगा ।
   (क) गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है । आशा को भुगतान देय होगा ।
   (ख) अगर मृत शिशु जन्म अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान प्रसूती माता को पोषण हेतु देय है । आशा को भुगतान देय होगा ।
   (ग) अगर माता और शिशु दोंनों की मुत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा ।

भुगतान की प्रक्रिया : प्रसूती माताओं को एकाउण्ट पेई चेक के द्वारा भुगतान देय होगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)SHSB/PM/22/2005-VIII/ 6590, Date:-11/08/2014 **(संलग्न)**
(ख)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705 / 9431005972

Anand Kishor, IAS
Secretary, Health Department,
Government of Bihar
cum
Executive Director,
State Health Society, Bihar

आनन्द किशोर, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार
सह-
कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

पत्रांक:-SHSB/PM/22/2005-VIII/ ....

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति,
बिहार

विषय: जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान एकाउण्ट पेइ चेक के माध्यम से करने के संबंध में के संबंध में।
प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 551,दिनांक: 27/01/2014, एवं पत्रांक:**SHSB/PM/22/2005-VII/2193**, दिनांक: 21/03/2014

पटना, दिनांक:-......../...... /2014

महाशया/महाशय

उपर्युक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि कार्यालय पत्रांक 551, दिनांक 27/01/2014 के द्वारा जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का भुगतान RTGS के माध्यम से ही किये जाने का आवश्यक निदेश दिया गया है। पुनः कार्यालय पत्रांक SHSB/PM/22/2005-VII/2193, दिनांक 21/03/2014 द्वारा भी 26.05.2014 से इसी आशय का कठोरता से अनुपालन करने के लिए सभी जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थी को सिर्फ RTGS के माध्यम से ही भुगतान करने हेतु आशा के सहयोग से सभी गर्भवती महिलाओं का Zero Balance पर दिनांक 25.05.2014 तक A/C खुलवाने एव इसके पश्चात् RTGS के माध्यम से ही भुगतान करने का निदेश दिया गया है ।

2. उक्त के संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का प्रोत्साहन राशि सिर्फ एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना है । जिसके लिए लाभार्थियों का बैंक एकाउण्ट होना अति आवश्यक है। इस हेतु सभी बैंको के प्रबंधकों को जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत गर्भवती महिलाओं का बैंक एकाउण्ट Zero Balance पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित MCP Card (with photograph of beneficiary) को सिर्फ पहचान प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार कर खोले जाने का अनुरोध किया गया है

3. अतः उक्त के आलोक में निदेशित है कि *<u>दिनांक: 26.05.2014 से जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का प्रोत्साहन राशि सिर्फ एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित करें।</u>*

विश्वासभाजन

ह०/-
(आनन्द किशोर)

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:- 11/08/2014

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वा०से०/क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को एवं आवश्यक कार्यार्थ सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, स्वास्थ्य विभाग
-सह-
कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

1) STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR, Parivar Kalyan Bhawan, Patna 800 014, Tele: 0612-2281545, 2290328 Fax: 0612-2290322
Email: ... Website: www.statehealthsocietybihar.org
2) HEALTH DEPARTMENT, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna- 800 015, Tele: 0612-2217681 Fax: 0612-2217608

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): सीजेरियन प्रसव

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.3.2.c

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : कुल प्रसव में जटिल प्रसव का अनुपात 15% है तथा 8% से 10% प्रसव में सीजेरियन आपरेशन करना जरूरी हो जाता है ताकि जच्चा–बच्चा की जान बच सके। सरकारी अस्पतालों में हो रहे प्रसव में c- section का अनुपात 1% से भी कम है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जिलों के सरकारी अस्पतालों में c-section की सुविधा देना वांछनीय है।

इकाई राशि (रू० में) :1500/– प्रति सिजेरियन

वित्तीय दिशा निर्देश :

अगर किसी सरकारी अस्पताल में c-section प्रसव किया गया है तो डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, पारामेडिक तथा त्झै को निम्न प्रकार प्रोत्साहन राशि देय होगी –

Activity	Total Amount Rs.	RKS	Operating Doctor	Anesthetist	Paramedic
C-section	1500/-case	500	500	300	200

RKS के मद में 500 रूपए देय राशि को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उस केन्द्र के RKS में जमा करेंगे जिसका उपयोग अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु किसी भी गतिविधियों में किया जा सकता है यथा Labour Rom repair. Renovation (Tiles flooring, AC etc.)/गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में किया जा सकता है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) SHSB/MCH/68/2009-II/20074, Date:-22/09/2010 **(संलग्न)**

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/9431005972

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना – 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव स्वास्थ्य–सह
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:–SHSB/MCH/ 68/2009-II/.........................

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,
बिहार

पटना, दिनांक:–......../09/2010

विषय:– बजट शीर्ष A.1.4.2.3 एवं कार्यक्रम "सीजेरियन प्रसव कराने पर डाक्टर पारामेडिक तथा RKS हेतु प्रोत्साहन राशि" के वित्तीय दिशा–निर्देश – 2010–11 में संशोधन के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य में कुल प्रसव में जटिल प्रसव का अनुपात 15% है तथा 8% से 10% प्रसव में सीजेरियन आपरेशन करना जरूरी हो जाता है ताकि जच्चा बच्चा की जान बच सके । सरकारी अस्पतालों में हो रहे प्रसव में e-section का अनुपात 1% से भी कम है ।

अतः मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एवं सरकारी अस्पताल में हो रहे e-section प्रसव की अनुपात में कमी को देखते हुए दिनांक:–16.08.2010 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में हुई 8वीं एक्सीक्यूटिव कमिटि की बैठक के निर्णयोपरान्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक:–18281, दिनांक 08/07/2010 के साथ प्रेषित दिशा निर्देश–2010–11 के बजट शीर्ष A.1.4.2.3, कार्यक्रम का नाम सीजेरियन प्रसव कराने पर डाक्टर पारामेडिक तथा RKS हेतु प्रोत्साहन राशि" के वित्तीय दिशा निर्देश में पूर्वनिर्धारित शर्तें (कुल प्रसव का 5% e-section के उपरांत किए गए प्रत्येक e-section प्रसव/case पर प्रोत्साहन राशि देय) को संशोधित कर प्रोत्साहन राशि (यथावत) प्रत्येक case पर निम्नलिखितानुसार देय है –

Activity	Total Amount Rs.	RKS	Operating Doctor	Anesthetist	Paramedic
C-section	1500/-case	500	500	300	200

RKS के मद में 500 रूपए देय राशि को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उस केन्द्र के RKS में जमा करेंगें । इस राशि का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सकता है ।

इसे तात्कालिक प्रभाव से लागू समझें ।

विश्वासभाजन
ह०/–

(संजय कुमार)

ज्ञापांक–

पटना, दिनांक–...22../09/2010

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ को प्रेषित ।

(संजय कुमार)

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नामः जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): प्रशासनिक व्यय

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.3.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : मातृ स्वास्थ्य हेतु किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है । इस हेतु क्षेत्र भ्रमण, लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन तथा Micro Birth Plan की उपलब्धता एवं अनुपालन वांछनीय है। तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित मदों में इस राशि का उपयोग किया जा सकता है जिसका निदेश इस दिशा निर्देश में उल्लेखित किया गया है ।

इकाई राशि (रू० में) : आवश्यकतानुसार

वित्तीय दिशा निर्देश : इसके तहत निम्न गतिविधियां की जा सकती है ।

1- मातृ स्वास्थ्य हेतु मुद्रण एवं क्रय (Micro Birth Plan For ASHA, MCP Card, Parto graph & any other printing and Purchasing of Digital camera,, Hard disc etc. which is relevant to implementation & promotion of programme.)
2- जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के तहत अनुश्रवण तथा लाभार्थी के भौतिक सत्यापन हेतु क्षेत्र भ्रमण के लिए POL/ Hiring Vehicle
3. डाटा मैनेजमेन्ट हेतु (May Hire Data entry operator for computerizing data, data operator may be hired on the basis of number of entry.Rate may be decided by DHS locally. Cartridge, paper) आदि क्रय हेतु ।
4. जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु
5. भारत एवं राज्य स्तर से कार्यक्रम की समीक्षा/क्षेत्र भ्रमण आदि हेतु आए पदाधिकारियों/सलाहकारों की Logistic Arrangement आदि की व्यवस्था की जा सकती है।
6. जिला स्वास्थ्य समिति वैसे सभी स्वास्थ्य संस्थानों (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों सहित) को पैसा निर्गत करेगी जहाँ पर प्रसव कार्य सम्पन्न हो रहा है। वैसे स्वास्थ्य उपकेन्द्र जहां प्रसव हो रहा है उस स्वास्थ्य संस्थानों के ए.एन.एम. अपने आवश्यकतानुसार व्यय करेंगी तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर उस संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी व्यय करेंगे। ए.एन.एम. जिस प्रकार अन्टाइड फण्डों के लेखा–जोखा का संधारण करती है ठीक उसी प्रकार इस मद के अंतर्गत किए गए व्यय का भी संधारण करेंगी और इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे ।
7. उक्त दिशा निर्देश प्रमण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए भी लागू है ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705 / 9431005972

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नामः जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): आशा का प्रोत्साहन राशि

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.3.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा को प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है । वैसे स्थान जहां पर आशा का चयन नहीं किया गया है वहां पर यदि आंगनवाडी सेविका कार्यरत है उन्हें यह राशि दी जाएगी ।

इकाई राशि (रू० में) :₹600 ग्रामीण तथा ₹400 शहरी/–

वित्तीय दिशा निर्देश :

आशा/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹600/–रूपये/प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं ₹400/–रूपये/प्रसव शहरी क्षेत्र के लिए संस्थागत प्रसव हेतु सहायता प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार देय होगी। यह दिनांकः 01.04.2013 से लागू है ।

कार्य	ग्रामीण क्षेत्र हेतु	शहरी क्षेत्र हेतु
प्रसव पूर्व जाँच 1 (12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण सहित)	100 रू०/–	100 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 2		
प्रसव पूर्व जाँच 3		
प्रसव पूर्व जाँच 4		
आई० एफ० ए० 1	100 रू०/–	100 रू०/–
आई० एफ० ए० 2		
आई० एफ० ए० 3		
टी० टी० 1	100 रू०/–	
टी० टी० 2		
कुल	**300 रू०/–**	**200 रू०/–**
संस्थागत प्रसव हेतु (बी०सी०जी० टीकाकरण के उपरांत)	**300 रू०/–**	**200 रू०/–**
कुल योग	**600 रू०/–**	**400 रू०/–**

नोट–

1. आशा/आंगनवाड़ी सेविका द्वारा जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यो के लिए एक मुश्त राशि शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात् संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों जहां पर प्रसव होता है वहां यह राशि देय होगी ।
2. अगर सरकारी अस्पतालों में आई.एफ.ए उपलब्ध नहीं है तथा आशा गर्भवती महिला को प्रेरित कर अन्य जगहों से क्रय कर आई.एफ.ए. का सेवन सुनिश्चित कराती है, वैसी स्थिति में आई.एफ.ए. हेतु भुगतान आशा को भी देय होगा । गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व जाँच, टी.टी., आई.एफ.ए. यदि सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य जगहों से सलाह/क्रय कर उपयोग किया गया है, उसकी भी मान्यता दी जाएगी ।
3. गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जाँच, आइ.एफ.ए. तथा टी.टी का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड/ मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पर सूचनाओं को अंकित करने की जवाबदेही आशा की होगी। यदि कोई ऐसी महिला जिसके पास कार्ड है परंतु टीकाकरण से संबंधित तिथि अंकित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में Maternal Child Tracking System व्यवस्था के आंकड़ों से इसका सत्यापन कर लिया जाए कि उस महिला को प्रसव पूर्व सेवाएँ दी गयी हैं या नहीं। यदि उस महिला का कोई भी तथ्य नहीं है तो इसका सत्यापन ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा । प्रायः यह देखा जाता है कि प्रसूति

माताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान ससमय हो जाता है परंतु आशा को समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है । इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि आशा का भुगतान ससमय कर दिया गया है ।

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश –

गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में हो जाती है तो भी आशा का भुगतान देय होगा ।

गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भी आशा का भुगतान देय है ।

भुगतान की प्रक्रिया : आशा को उनके संबंधित एकाउण्ट में ही राशि ट्रांसफर की जाएगी । इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रेषित किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क)SHSB/PM/22/2005- VII-3092, Dt:- 29/03/2013

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705 / 9431005972

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य
–सह–
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:–SHSB/PM/22/2005-VII/......5072......

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

पटना, दिनांक:–....../03/2013

विषय:– जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आशा/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संशोधित प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के संबंध में ।

प्रसंग: रा० स्वा० स०, बिहार का पत्रांक: 8422, दिनांक: 28/09/2012
प्रसंग: No. Z. 14018//2012-JSY, दिनांक: 06.02.2013

महाशया/महाशय,

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा उपरोक्त प्रासांगिक पत्र के माध्यम से जननी एवं बाल सुरक्षा योजनान्तगर्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु सभी सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिया गया था कि एक मुश्त कुल ₹350/–(ग्रामीण क्षेत्र) एवं ₹200/–(शहरी क्षेत्र) आशा/आंगनवाड़ी/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राशि प्रसवोपरांत देय है ।

उपरोक्त निदेश को निदेशक–आर.सी.एच., राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक: No. Z. 14018//2012-JSY, दिनांक: 06.02.2013 के आलोक में विलोपित करते हुए निदेशित है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 01.04.2013 से जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत आशा/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करते हुए विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹600/–रूपये/प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं ₹400/–रूपये/प्रसव शहरी क्षेत्र के लिए संस्थागत प्रसव हेतु सहायता प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार देय होगी।

कार्य	ग्रामीण क्षेत्र हेतु	शहरी क्षेत्र हेतु
प्रसव पूर्व जाँच 1 (12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण सहित)	100 रू०/–	100 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 2		
प्रसव पूर्व जाँच 3		
प्रसव पूर्व जाँच 4		
आई० एफ० ए० 1	100 रू०/–	100 रू०/–
आई० एफ० ए० 2		
आई० एफ० ए० 3		
टी० टी० 1	100 रू०/–	
टी० टी० 2		
कुल	300 रू०/–	200 रू०/–
संस्थागत प्रसव हेतु (बी०सी०जी० टीकाकरण के उपरांत)	300 रू०/–	200 रू०/–
कुल योग	600 रू०/–	400 रू०/–

29/3/13

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014.
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

उक्त के आलोक में यह भी निदेशित है कि 31 मार्च, 2013 तक का आशा का लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान वर्तमान में लागू दर से ही समाप्त करना सुनिश्चित करें, ताकि 1.04.2013 से नई संशोधित दर निर्बाध रूप से लागू किया जा सके ।

विश्वासभाजन

ह० / –

(संजय कुमार)

ज्ञापांक: पटना, दिनांक: ...../...../2013

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अपर निदेशक, वित्त, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ / क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक